बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय

– आदेश –

पटना, दिनांक............................

संचिका संख्या –07/प्रो०–03–08/2025–..................../बिहार सरकार के आदेश सं०–2558, दिनांक 09.09.2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गयी अनुशंसा एवं तदालोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–4206, दिनांक 22.11.2025 के माध्यम से स्थानीय निकाय के शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक में आपसी वरीयता निर्धारित करने हेतु दिशा–निर्देश/मापदण्ड निर्गत किये गये हैं। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापांक 4207 दिनांक 22.11.2025 द्वारा वर्ग 01 से 05 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को वर्ग 06 से 08 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 09 से 10 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गये कार्यावधि की गणना करने का आदेश भी संसूचित है।

2. इस क्रम में विभागीय ज्ञापांक 142, दिनांक 12.01.2026 के द्वारा कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति (स्वस्थानिक उत्क्रमण) हेतु स्थानीय निकाय अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गए कार्यावधि की गणना करने का आदेश भी संसूचित है। विभागीय ज्ञापांक 38, दिनांक 12.01.2026 द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के अन्तर वरीयता के निर्धारण हेतु पूर्व से निर्गत अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22.07.2019 को यथावत् बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निदेश निर्गत किया गया।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–4206, दिनांक 22.11.2025 के माध्यम से निर्गत किये गए मापदंडो यथा कंडिका 2 (क), 3, 4(क) तथा 4(ख) में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक का प्रभार दिये जाने हेतु विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापन कार्य का अनुभव अंकित है।

उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में प्राप्त हो रहे कतिपय पृच्छाओं के समाधान के लिए विभागीय पत्रांक 37 दिनांक 12.01.2026 द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर सहित संसूचित किया गया।

4. वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के अन्तर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गये कार्यावधि के संबंध में कतिपय पृच्छाएँ की जा रही हैं, जिनके निराकरण के संदर्भ में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

(i) प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (मरणशील), माध्यमिक विद्यालयों के प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक **(जो मरणशील संवर्ग है)**, स्थानीय निकाय के शिक्षक, सक्षमता उर्तीण होने के उपरान्त विशिष्ट शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से **संबंधित नियमावली में उनके संवर्ग के शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण हेतु दिशा–निदेश उपलब्ध है। वह यथावत रहेगा।**

(ii) पूर्व की भांति जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक **(जो मरणशील संवर्ग है)** पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से **वरीय माना जायेगा**। इसी प्रकार, प्राथमिक/मध्य विद्यालय में भी यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक **(जो मरणशील संवर्ग है)** पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से **वरीय माना जायेगा**।

➢ **माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामलों में :–**

(iii) जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित नहीं होने की स्थिति** में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2021 (समय–समय पर यथा संशोधित) में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नांकित मापदंड के अनुरूप किया जायेगा :–

(क) माध्यमिक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9–10) हेतु स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) **अथवा** विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक **अथवा** स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक **अथवा** स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में वर्ग 09 से 10 में **न्यूनतम 08 वर्ष का अध्यापन कार्य अनुभव** होना चाहिए। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक (वर्ग 11–12) को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) **अथवा** विशिष्ट शिक्षक **अथवा** विद्यालय अध्यापक **अथवा** स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में वर्ग 11 से 12 में **न्यूनतम 04 वर्ष का अध्यापन कार्य अनुभव** होना चाहिए। उक्त अहर्त्ता वाले माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। एक ही विद्यालय में यदि उक्त अहर्त्ताधारी माध्यमिक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9–10) एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक (वर्ग 11–12) दोनों हो तो, प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिनके नियोजन की तिथि को यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक, जिनकी स्नातकोत्तर की योग्यता तथा कार्यकाल की अवधि दोनों चार वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, की वरीयता समान होगी।

(ख) उक्त कंडिका (क) के क्रम में इनके अन्तर वरीयता का निर्धारण **प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात् जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है,** के आधार पर किया जायेगा। **प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर** वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जायेगा। **जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा** वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जायेगा।

➢ <u>**प्राथमिक विद्यालयों के मामलों में :–**</u>

(iv) प्राथमिक विद्यालय में **जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में** बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। इसके अनुसार वर्ग 01 से 05 के **न्यूनतम आठ वर्ष का (प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में) शिक्षण अनुभव** वाले <u>स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक)</u> **अथवा** <u>विशिष्ट शिक्षक</u> **अथवा** <u>विद्यालय अध्यापक</u> **अथवा** <u>स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक</u> **अथवा** <u>स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक</u> को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में **अन्तर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात् जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है**, के आधार पर किया जायेगा। **प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार** पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। **जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा** वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया जा सकता है।

➢ <u>**मध्य विद्यालयों के मामलों में :–**</u>

(v) मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक – स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 अन्तर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

(क) इसके अनुसार वर्ग 06 से 08 के **न्यूनतम चार वर्ष का (प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में) शिक्षण अनुभव** वाले <u>स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक)</u> **अथवा** <u>विशिष्ट शिक्षक</u> **अथवा** <u>विद्यालय अध्यापक</u> **अथवा** <u>स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक</u> **अथवा** <u>स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक</u> को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में **अन्तर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात् जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है,** के आधार पर किया जायेगा। **प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार** पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। **जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा,** वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है।

Z

(ख) मध्य विद्यालय में पदस्थापित **वर्ग 06 से 08 के शिक्षक को यदि उक्त कंडिका में वर्णित अहर्त्ता नहीं हो अथवा वर्ग 06 से 08 के शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हो** तो वर्ग 01 से 05 के न्यूनतम आठ वर्ष का (प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में) शिक्षण अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) **अथवा** विशिष्ट शिक्षक **अथवा** विद्यालय अध्यापक **अथवा** स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक **अथवा** स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। वर्णित मापदंड के अनुरूप **एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अन्तर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि** अर्थात् जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है, के आधार पर किया जायेगा। **प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर** वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। **जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा** वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है।

5. प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु उक्त कंडिका में निर्धारित अन्तर वरीयता के साथ–साथ यह भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा, कि **मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय में बी0एड0 योग्यताधारी शिक्षक/विद्यालय अध्यापक** ही प्रधानाध्यापक हेतु नामित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार **प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु** संबंधित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को प्रारंभिक **शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक** होगा।

6. पूर्व से निर्गत अन्तर वरीयता संबंधित मापदण्ड को उक्त हद तक परिष्कृत किया जाता है। इसे आदेश ज्ञापांक–4206, दिनांक 22.11.2025 के साथ पढ़ा जायेगा। आदेश ज्ञापांक–4206, दिनांक 22.11.2025 के अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

यह आदेश ज्ञापांक–4206, दिनांक 22.11.2025 के लागू होने की तिथि से ही प्रभावी होगा।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग, पटना।

ज्ञापांकः–07/प्रो0 03–08/2025........................ पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग, पटना।

ज्ञापांकः–07/प्रो० 03–08/2025.......714........ पटना, दिनांक 12-02-2026

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/02/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग, पटना।